

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-225) अलेसे-1/ 187

दिनांक:- 19/06/19

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द जैन, (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2019) सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को वित्त (व्यय-2) विभाग में उपलब्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद पर दिनांक 01.06.2019 से 31.05.2020 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पे-पेंशन (Pay Minus Pension) के आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश कार्मिक विभाग की आई.डी संख्या 635/DOP/A-2 दिनांक 31.05.2019 एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161900534 दिनांक 08.05.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-225) अलेसे-1/ 187

दिनांक:- 19/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 12.06.2019 के क्रम में।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5 श्री रमेश चन्द जैन, (सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1) वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 7 निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।

8. ACP (Site पर upload हेतु)

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)